न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 561 सन 2019
अनवान :–

1. गोमदराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. हेतराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
2. रजीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
3. अमीलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
4. मांगेराम पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
5. सावित्री पत्नी शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
6. सरोज पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
7. प्रगेश्वरी पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
8. गंजु पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
9. शारदा पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
10. बसाकरों पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
11. शिशपाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
12. साहबराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 20/9/20

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 269/268 की कुल 16.2880हैक एवं खाता संख्या 446/430 की कुल 19.9560हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सुरजारा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सुरजाराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एव मृतक पुत्र पन्नालाल एवं शंकरलाल के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सुरजाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

सुरजाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से भूमि उनके पुत्रो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एव मृतक पुत्र पन्नालाल एवं शंकरलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई हे पन्नालाल के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 ,12 एवं मृतक पुत्र शंकरलाल के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 है अर्थात वाद भूमि जो सुरजाराम के पाचों पुत्रों के नाम से दर्ज है के वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है शंकरलाल की पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि की दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पक्ष में किया जा चुका है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 5 जो प्रतिवादी संख्या 4 की माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,11 ,12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,11 ,12 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की उसके व मृतक पन्नाराम व शंकरलाल नाम से दर्ज भूमि उसके पिता सुरजाराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है पन्नालाल एवं शंकरलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान क्रमशः वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 ,12 एव प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 है अर्थात वाद भूमि के जायज हकदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग जरिये दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पक्ष में किया जा चुका है व प्रतिवादी संख्या 5 जो प्रतिवादी संख्या 4 की माता है ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,11 ,12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल-मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षी की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 269/268 की कुल 16.2880हैक एवं खाता संख्या 446/430 की कुल 19.9560हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सुरजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सुरजाराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एव मृतक पुत्र पन्नालाल एवं शंकरलाल के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सुरजाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

सुरजाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से भूमि उनके पुत्रो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एव मृतक पुत्र पन्नालाल एवं शंकरलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई हे पन्नालाल के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 ,12 एवं मृतक पुत्र शंकरलाल के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 है अर्थात वाद भूमि जो सुरजाराम के पाचों पुत्रों के नाम से दर्ज है के वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है शंकरलाल की पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि की दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पक्ष में किया जा चुका है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 5 जो प्रतिवादी संख्या 4 की माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया जा चुका है इसप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,11 ,12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 269/268 की कुल 16.2880हैक एवं खाता संख्या 446/430 की कुल 19.9560हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सुरजाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से भूमि उनके पुत्रो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एव मृतक पुत्र पन्नालाल एवं शंकरलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है पन्नालाल के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 ,12 एवं मृतक पुत्र शंकरलाल के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 है अर्थात वाद भूमि जो सुरजाराम के पाचों पुत्रों के नाम से दर्ज है के वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है शंकरलाल की पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि की दस्तावरदारी प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पक्ष में किया जा चुका है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 5 जो प्रतिवादी संख्या 4 की माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,11 ,12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर इकबला दावा पेश किया जाकर स्वीकार किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,11 ,12 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 11 ,12 रोही मोजा सोनडी के खाता संख्या 446/430 के खसरा न0 573 की 4.301हैक भूमि रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 446/430 के खसरा न0 455 की 5.1600हैक भूमि रहेगी व प्रतिवादी संख्या 2 रजिराम के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 446/430 के खसरा न0 573 की 4.807हैक भूमि रहेगी एव प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 446/430 के खसरा न0 568/2.6310 ,556/0.2020 ,533/2.855हैक भूमि बहिब रहेगी इसी अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गोमदराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 हेतराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
2. रजीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
3. अमीलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर।
4. मांगेराम पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
5. सावित्री पत्नी शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
6. सरोज पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
7. प्रमेश्वरी पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
8. मंजु पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
9. शारदा पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
10. बसकरों पुत्री शंकरलाल जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
11. शिशपाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
12. साहबराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 561 सन 2020 निर्णय दिनांक– २८/०९/२०२०

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 11 ,12 रोही मोजा सोनडी के खाता संख्या 446/430 के खसरा न0 573 की 4.301हैक भूमि रहेगी एवं प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 446/430 के खसरा न0 455 की 5.1600हैक भूमि रहेगी व प्रतिवादी संख्या 2 रजिराम के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 446/430 के खसरा न0 573 की 4.807हैक भूमि रहेगी एव प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के पास रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 446/430 के खसरा न0 568/2.6310 ,556/0.2020 ,533/2.855हैक भूमि बहिव रहेगी इसी अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक २८/०९/२०२० को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner